

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश।

संख्या-19फ/01-एन/लो0से0आ0च/2018/

लखनऊ: दिनांक: 17/09/2019

—: आदेश :—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज) के पत्र संख्या-17/01/ई-6/2016-17, दिनांक 30.07.2019, पत्र संख्या-21/01/ई-6/2016-17, दिनांक 02.08.2019 एवं पत्र संख्या-20/01/ई-6/2016-17, दिनांक अगस्त 2019 के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली-2016 के नियमों व प्राविधानों के क्रम में संलग्न सूची में क्रमोंक-01 से 16 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका के पद पर (समूह 'ख') वेतनमान रू0 9300-34800/- ग्रेड वेतन रू0 4600/- एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 09 में अंकित चिकित्सालय/जनपद में की जाती है:-

1. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं है, तो नियुक्त अभ्यर्थी की नियमानुसार सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
2. यह नियुक्ति संबंधित अधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं तकनीकी अंक तालिकाओं, प्रमाण-पत्रों, आरक्षित श्रेणी के जाति प्रमाण-पत्र आदि के उचित माध्यमों से सत्यापित कराये जाने की शर्त के साथ की जाती है, कि यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा सत्यापन कराने पर आरक्षण का दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी पूर्व नोटिस के नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. यह संवर्ग प्रदेश स्तर का संवर्ग है, अतः जनहित में प्रदेश के किसी भी चिकित्सालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी नियमानुसार देय होंगे।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति राज्य कर्मचारियों से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के यथासमय नियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है।
8. संबंधित अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान के जनपद के कालम-09 में अंकित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका) के सम्मुख उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
9. संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा यथा स्थिति योगदान कराते समय रूपये 100/- के स्टैम्प पेपर पर संबंधित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनसे संबंधित कोई वाद घयन के संबंध में लम्बित नहीं है।
10. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों के साथ-साथ उनकी स्वप्रमाणित दो प्रतियाँ, नियुक्ति स्थान पर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी:-
 - (क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
 - (ख) हाई स्कूल व इण्टरमीडियट की अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र।
 - (ग) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण एवं धात्री प्रशिक्षण (महिला अभ्यर्थी हेतु) का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र।
 - (घ) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी/नर्सिंग काउन्सिल में नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र।
 - (ङ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सरकारी सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, से चरित्र का प्रमाण-पत्र।

- (च) संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अभियोजन लम्बित/विचाराधीन होने या न होने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में एक शपथ-पत्र।
(छ) ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
(ज) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं प्रतिज्ञा का शपथ पत्र/प्रतिज्ञा।
(झ) चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
(ञ) विवाहित होने की दशा में एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न होने का प्रमाण-पत्र व विवाहित अभ्यर्थी निम्न प्रारूप पर घोषण पत्र प्रस्तुत करेंगे/करेंगी।

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्री/कु0 पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री व्यवसाय (यदि व्यवसाय नौकरी में है तो सेवायोजन का नाम व पूर्ण पता/यदि नहीं तो पूर्ण विवरण तथा कार्यस्थल में पूर्ण पोस्टल पता (डाक पता) भी अंकित किया जाय, के साथ दिनांक को रीति-रिवाज के साथ हुआ था और उक्त व्यक्ति के साथ विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती है।
मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी के अतिरिक्त कोई अन्य जीवित पति/पत्नी नहीं है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता-

- (ट) हिन्दी व अंग्रेजी में नमूने के दो हस्ताक्षर।
(ठ) मूल स्थाई निवास से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
(ड) आरक्षित श्रेणी/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित से संबंधित प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या-19फ/01-एन/लो0से0आ0च/2018/424-31 तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
- 2- सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
- 3- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8
- 4- संबंधित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर, उन पर यह अंकन करें कि 'मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया' अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मों का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।
- 5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त प्रमाण-पत्रों की दो-दो प्रतियां कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
- 8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस सम्बन्धित जनपद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(ज्ञान प्रकाश)
निदेशक (नर्सिंग)

क्र.सं	सूची क्रमांक	अनुक्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	गृह जन्मपद	तैनाती का स्थान
1	796	218538	71150061879	राखी जायसवाल	श्री नीरज जायसवाल	म.नं.-सी-2298 सपना कालोनी, राजाजीपुरम्, लखनऊ	लखनऊ	उभाशंकर दीक्षित जिला महिला चिकित्सालय, उन्नाव
2	957	227891	71120017331	ऐने परवीन	श्री उर्वेश अहमद	ग्राम पोस्ट, नारायण, तहसील, मौदहा, जिला-हमीरपुर, पिन कोड-210507	हमीरपुर	जिला महिला चिकित्सालय, फतेहपुर
3	996	212138	71120115651	रंजीता मिश्रा	श्री विजय प्रकाश तिवारी	ग्राम-सिरसा, पोस्ट-चिरैया कोट, जिला मऊ	मऊ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़
4	1266	210449	71130042868	चित्रा रानी	श्री राजेन्द्र सिंह	म.स.-123ए, मेहन्दी, मौ0 नगर निगम-भरत, थाना ककरखंडा, जिला भरत पिनकोड-25000	भरत	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत
5	1309	219868	71130008174	गीता	श्री रामरतन	म.न.-9 बार्ड न.-1 मौ0 देवीदास खलौली, जिला मुजफ्फर नगर, पिनकोड-251201	मुजफ्फर नगर	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत
6	1406	220792	71130057198	उर्मिला सिंह	श्री हरकरन सिंह	मौ0 फर्रारन शाहबाद, रामपुर, उ0प्र0 पिनकोड-244901	रामपुर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद
7	1516	218678	71130042105	राखी देवी	श्री मेघराज सिंह	ग्राम-कोलकी, राधक पोस्ट-नगराजपुर, सहारनपुर पिन कोड-247001	सहारनपुर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली
8	1525	214289	71130056515	चन्दन	श्री रामकेश	ग्राम व पोस्ट हरैया, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर
9	1625	229280	71130058966	पूजा कुमारी	श्री जयमंगल प्रसाद	बवाट नं0-बी-212, एन0सी0एल0 ककरी कालोनी, सोनभद्र, पिनकोड-231224	मिर्जापुर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र
10	1738	219394	71130037866	शिवानी	श्री शत्रुहन	ग्राम पोस्ट-कुवरा बाजार, जिला फैजाबाद	फैजाबाद	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी
11	1741	227585	71140003895	नेहा कश्यप	श्री विमल कुमार	बी-26/153 नवाबगंज, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी	वाराणसी	जिला महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर
12	415	211682	71140002489	नीलम	श्री सातपाल कुमार	नं0-10/39 सी-1 लखराव, बाजारडीहा, वाराणसी पिनकोड-221106	वाराणसी	जिला महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर

17/09/19

संयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

सहायक चिकित्सा अधिकारी (स्त्री) संयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

17/09/19

सहायक चिकित्सा अधिकारी (स्त्री) संयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

क्र.सं	सूची क्रमांक	अनुक्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	गृह जनपद	तैनाली का स्थान
13	1024	207318	71140001523	रत्नावती	श्री रामवृक्ष गोंड	म.न-95 हिण्डालको कालोनी, रेणुकोट, सोनभद्र, पिनकोड-231217	मिर्जापुर	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र
14	1384	216097	71140000569	रिकी गोंड	श्री विनय कुमार गोंड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-230135	मऊ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़
15	1447	223669	71140001082	बन्दिना गोंड	श्री गोरखनाथ	ग्राम-निजामुद्दीनपुर, पोस्ट-कुर्मीजाफरपुर, जिला मऊ पिनकोड नम्बर-275305	मऊ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़
16	183	222509	71110017809	बरखा शर्मा	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	डी-719, स्ट्रीट नं0-13 अशोक नगर, सहदास, दिल्ली, पिनकोड-110093	दिल्ली	जिला एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद

Dr

17/09/19

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा)
संयुक्त एवं स्वास्थ्य सेवायें
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
ड0प्र0, दारासंग

108

17/09/19

निदेशक (नर्सिंग)
संयुक्त एवं स्वास्थ्य सेवायें
ड0प्र0, दारासंग

17/09/19

ड0प्र0, दारासंग